राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2178/2023

डॉ. अमित अवस्थी –अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राज.।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं पंचायती राज (चिकित्सा विभाग) विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलिम खान, अधिवक्ता,

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन अंकित किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग विशेषज्ञ) के पद पर जे. के. लोन चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वेतन आहरण नहीं किये जाने के संदर्भ में दिनांक 18.08.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के वेतन का आहरण मार्च, 2023 से नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी का पुत्र हीमोफीलिया नामक गंभीर एवं दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिसका निरंतर ईलाज चल रहा है। अतः वेतन आहरित नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा विभिन्न परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।
2. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन
3. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को माह मार्च, 2023 से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
4. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)